प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 2245/2023

निर्णय सुरक्षित किया गया : 27.06.2025

निर्णय पारित किया गया : 15.07.2025

अमित सिंह राजपूत पिता श्री तिलक राजपूत,27 वर्ष, निवासी गाँव–सरधा, थाना–लोरमी, निवासी–मुंगेली, छत्तीसगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्राधिकारी के द्वारा,–अजक–मुंगेली, जिला–मुंगेली, छत्तीसगढ़।

–––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :– श्री किशोर भादुड़ी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीकांत कौशिक तथा श्री हर्ष दवे, अधिवक्तागण

उत्तरवादी/राज्य हेतु :– श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता तथा श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता

न्यायमित्रः– श्री आर. आर. सोनी, अधिवक्ता

एकल पीठ .–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. इस दाण्डिक अपील में शामिल दो छोटे प्रश्न इस प्रकार हैंः–––

I. क्या अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित करने के कारण पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि 25/08/2022 को अपीलकर्ता ने प्रश्नगत अपराध कारित किया है और उसे अन्य दिनांक पर भी उक्त अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है?

II. क्या अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर की प्रति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 और 76 के अर्थ में क्रमशः एक सार्वजनिक दस्तावेज और एक सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है?

2. उपर्युक्त विधि प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचारार्थ उठते हैं:---

(i) अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 25/08/2022 को अपराह्न लगभग 3 बजे, अपीलार्थी, जो शासकीय हाई स्कूल, कोसमतरा, ब्लॉक एवं तहसील लोरमी, जिला मुंगेली में व्याख्याता था, ने लगभग 13 वर्ष की नाबालिग पीड़िता (उक्त स्कूल की छात्रा) का यौन उत्पीड़न किया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है और इस प्रकार, उसने भा.दं. सं. की धारा 354 सहपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया।

(ii) पीड़िता की मां (पीडब्लू-1) के परिवाद पर, अपीलार्थी के विरुद्ध प्र. पी/2 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा प्रकरण का अन्वेषण किया गया ।पीड़िता का कथन धारा 164 के अंतर्गत प्र.प्र./7 के तहत दर्ज किया गया, घटनास्थल का नक्शा प्र.प्र./14 के तहत तैयार किया गया, साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए।प्रधानाचार्य से पीड़िता की स्कूल प्रवेश रसीद प्र.प्र./10 सी के तहत जब्त की गई। उचित अन्वेषण के पश्चात् , अपीलकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया , जिसे विधि अनुसार विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश की न्यायालय को सौंपा गया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षीयों से परीक्षा कि गयी तथा 16 दस्तावेज़ को अभिलेख में लाया गया ।अपीलकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत लिया गया, जिसमें उसने अपराध से इनकार किया।इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थिति रजिस्टर की एक प्रति प्रस्तुत की गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आरटीआई") के अंतर्गत प्राप्त की गई थी और यह कहते हुए कि अपराध की तिथि अर्थात 25/08/2022 को अपीलकर्ता आकस्मिक अवकाश पर था, अपना बचाव करने का तर्क दिया गया।

(iv) तथापि, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, इस अप्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर अपीलकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि 25/08/2022 के अलावा, अपीलकर्ता ने अन्य दिनांक पर भी अपराध कारित किया था और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तथा उसे 2000/- रुपये के जुर्माने के साथ 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माना न चुकाने पर 1 महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड पारित किया गया।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने यह प्रस्तुत किया कि अपराध की तिथि अर्थात 25/08/2022 को अपीलकर्ता आकस्मिक अवकाश पर था, जो कि आरटीआई के तहत प्राप्त उपस्थिति रजिस्टर से साबित होता है और इसलिए, उसके द्वारा अपराध किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण नहीं है कि आकस्मिक अवकाश पर होने के बावजूद अपीलकर्ता उस दिन स्कूल में उपस्थित हुआ और अपराध किया और चूंकि अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाया गया आरोप बहुत विशिष्ट है और अपराध दिनांक और समय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि 25/08/2022 के अलावा, अपीलकर्ता द्वारा अन्य दिनांक पर भी अपराध कारित किया गया था, पूरी तरह से अवैध और विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, इसलिए, दोषसिद्धि और दंड के आदेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।वह आगे प्रस्तुत करते है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **लल्लूसिंह पुत्र जगदीशसिंह समग्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य** 1 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के अप्रदर्शित दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा उपस्थिति रजिस्टर की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि वह अपराध की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पर था, लेकिन अप्रदर्शित दस्तावेज़ होने के कारण इस पर भरोसा नहीं किया गया है, और यदि अभियोजन पक्ष का तर्क यह था कि अपीलकर्ता ने अन्य तिथियों पर भी अपराध किया था, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 और 221 के आलोक में इस संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए जाने चाहिए थे।इस संबंध में **चित्तरंजन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2 और गुणवंतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 3** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को अपील स्वीकार करके बरी किया जाना चाहिए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप विशिष्ट है, लेकिन उसे अन्य तिथियों पर भी अपराध करने का दोषी पाया गया था, इसलिए, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय पूरी तरह से न्यायसंगत है।इसी प्रकार, बचाव पक्ष के अप्रदर्शित दस्तावेज पर विचार नहीं किया जा सकता है और उसे अभियुक्त के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

प्रश्न संख्या 1 का उत्तरः---

6. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता, जो शासकीय हाई स्कूल कोसमतरा, ब्लॉक और तहसील लोरमी, जिला मुंगेली में व्याख्याता है, के खिलाफ विशिष्ट आरोप निर्धारित किया गया कि 25/08/2022 को उसने 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया।हालाँकि, आक्षेपित निर्णय में, विचारण न्यायालय

ने कंडिका 43 में यह निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि अपीलकर्ता ने 25/08/2022 के अलावा अन्य तिथियों पर भी पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुँचाई है।

7. दाण्डिक विधि का यह मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की वास्तविक प्रकृति के बारे में निश्चितता और सटीकता के साथ सूचित किया जाना चाहिए। अन्यथा, उसके बचाव में गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त हो सकता है।इसलिए, यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले, उस पर (कुछ अपवादों के अधीन) सामान्यतः निर्दिष्ट अपराध करने का आरोप लगाया जाना चाहिए और उसे ऐसे आरोप के विरुद्ध अपना बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए।उसे केवल इस प्रकार निर्दिष्ट विशेष अपराध के प्रमाण पर ही दोषी ठहराया जा सकता है तथा उस अपराध हेतु नहीं जो इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं है।यह न्यायशास्त्रीय अवधारणा पर आधारित है कि 'किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा' और 'किसी भी व्यक्ति के साथ उसके बचाव में पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगाइसलिए,विचारण न्यायालय की ओर से आरोप तय करने का आदेश देने का कार्य उस गंभीरता और प्रयास के साथ किया जाना चाहिए, जिसका वह पूर्णतः हकदार है और संबंधित विधि का संदर्भ लिए बिना आरोप निर्धारित करने की त्रुटि करने से बचना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दं. प्र. सं. की धारा 211 से 213 आरोप की विषय–वस्तु और स्वरूप से संबंधित हैं और उन विवरणों को निर्दिष्ट करती हैं, जिन्हें प्रत्येक आरोप में बताया जाना चाहिए।इस तरह के बयान का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति को यह बताना है कि उसे किस मूल आरोप का सामना करना होगा और साक्ष्य दर्ज होने से पहले उसे उसके लिए तैयार रहना है।प्रत्येक आरोप में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:–––

(i) उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है,

(ii) उस विधि और विधि की उस धारा का विवरण जिसके विरुद्ध अपराध किया गया बताया गया है,

(iii) कथित अपराध के समय और स्थान तथा उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में विवरण जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है,

(iv) उस तरीके का विवरण जिससे कथित अपराध किया गया था। हालाँकि, यह केवल तभी आवश्यक है जब धारा 211 और 212 में उल्लिखित विवरण अभियुक्त को उस मामले की पर्याप्त जानकारी न दें, जिसका उस पर आरोप लगाया गया है।

9. चित्तरंजन दास (सुप्रा) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा वैध आरोप की आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है।इसके अलावा, **मेन पाल बनाम हरियाणा राज्य** 4 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को यह पता होना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है ताकि वह उस आरोप के संबंध में अपना बचाव कर सके और नए

आरोप निर्धारित करने के बाद मामले को वापस विचारण न्यायालय को भेज दिया गया । निर्णय के कंडिका 20 में निम्नलिखित कहा गया है:---

"20. जब अभियुक्त पर प्रकाशी देवी के घर में घुसने और उनकी लज्जा भंग करने के आशय से उन पर हमला करने का आरोप है और जब अभियुक्त ने उक्त आरोप के संबंध में अपना बचाव किया और यह साबित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि उक्त आरोप सत्य नहीं हैं, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति, अर्थात् शीला देवी पर हमला करने और उनकी लज्जा भंग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।अभियुक्त को शीला देवी पर हमला करने और उनकी लज्जा भंग करने के आरोप के विरुद्ध अपना पक्ष रखने या बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला।न ही उसने यह समझकर अपना बचाव किया कि उस पर शीला देवी के संदर्भ में अपराध करने का आरोप लगाया जा रहा है।न्याय के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि अभियुक्त को पता होना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है ताकि वह उस आरोप के संबंध में अपना बचाव कर सके। किसी अभियुक्त को Y के विरुद्ध अपराध करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जब उस पर X के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया हो और अभियुक्त का संपूर्ण बचाव X के विरुद्ध अपराध करने के आरोप के संदर्भ में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसी प्रकार, **कालीचरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 5 के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आरोपों के अनुचित निर्धारण के संबंध में टिप्पणियां की हैं और अपील न्यायालय यह कैसे निर्धारित करेगा कि आरोप निर्धारण में चूक के कारण न्याय में विफलता हुई है, इस पर टिप्पणी की है और कंडिका 19 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"19. अपराध करने के तरीके का विवरण देने पर ज़ोर दिया गया है।जब तक दंडात्मक विधि की विशिष्ट धारा और कथित अपराध के समय और स्थान जैसे विवरण आरोप में शामिल नहीं किए जाते, तब तक अभियुक्त अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाएगा।कई मामलों में ये विवरण भी अभियुक्त को अपना बचाव ठीक से करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।इसीलिए धारा 213 में एक विशिष्ट अपेक्षा सम्मिलित की गई है कि यदि धारा 211 और 212 में उल्लिखित विवरण अभियुक्त को उस मामले की पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, तो आरोप में उस तरीके का भी विवरण शामिल किया जाएगा जिससे कथित अपराध किया गया था, जो उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा।धारा 213 के दृष्टांत (ई) में यह प्रावधान है कि जब आरोप में यह आरोप शामिल है कि ए पर किसी निश्चित समय और स्थान पर बी की हत्या का आरोप है, तो आरोप में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ए ने बी की हत्या किस प्रकार की।"

11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह सुस्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप निर्धारित किया है कि 25/08/2022 को उसने पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और आरोप निर्धारित करते समय कोई अन्य दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी से उसकी जांच में यह सवाल पूछा गया है कि क्या उसने 25/08/2022 को पीड़िता

की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि वर्तमान अपील में, केवल यह देखा जाना है कि क्या 25/08/2022 को अपीलकर्ता ने पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि आक्षेपित निर्णय की सत्यता और वैधता की जांच इस विशिष्ट आरोप के संदर्भ में की जानी है कि 25/08/2022 को उसने कथित तौर पर पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस प्रकार, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 2 का उत्तरः---

12. इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व, मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। अपीलार्थी अपराध की तिथि को शासकीय हाई स्कूल, कोसमतरा, ब्लॉक लोरमी, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली में व्याख्याता था।प्रतिवाद का तर्क है कि अपराध की तिथि अर्थात् 25/08/2022 को वह आकस्मिक अवकाश पर था और ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए आरोपित अपराध कारित करने का प्रश्न विचारणीय नहीं है।इस संबंध में उन्होंने दिनांक 31/10/2022 को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त शिक्षक उपस्थिति पंजी की प्रति प्रस्तुत की है, जो जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुंगेली के कार्यालय से संबद्ध लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे पता चलता है कि दिनांक 25/08/2022 को अपीलार्थी आकस्मिक अवकाश पर था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. न्यायालय में उठाया गये तर्क का उत्तर देने के लिए, साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 74, जो सार्वजनिक दस्तावेज से संबंधित है, निम्नानुसार प्रदान करती हैः---

"74. सार्वजनिक दस्तावेज – निम्नलिखित दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज हैं:---

(1) कृत्यों के दस्तावेज या अभिलेख - (i) संप्रभु प्राधिकरण के,

(ii) आधिकारिक निकायों और न्यायाधिकरणों के, और

(iii) [भारत या राष्ट्रमंडल के किसी भी भाग के] या किसी विदेशी देश के, विधायी, न्यायिक और कार्यपालक लोक अधिकारियों के;

(2) [किसी भी राज्य में] रखे गए निजी दस्तावेजों के सार्वजनिक अभिलेख।"

14. शासकीय हाई स्कूल, कोसमतरा, ब्लॉक लोरमी, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुंगेली द्वारा संचालित एक स्कूल है और राज्य सरकार का एक पदाधिकारी है।स्कूल उपस्थिति रजिस्टर न केवल अपीलकर्ता के लिए, बल्कि स्कूल में कार्यरत अन्य सभी शिक्षकों/व्याख्याताओं के लिए भी बनाए रखा जाता है, जैसा कि विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 31/10/2022 के दस्तावेज़ से स्पष्ट है।अतः, विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर की प्रति, साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(1)(ii) के अनुसार, आधिकारिक निकाय होने के नाते, "सार्वजनिक दस्तावेज़" की श्रेणी में आएगी।

15. सार्वजनिक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति को अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें निम्नलिखित कहा गया है:---

"76. सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां।---प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसके पास कोई लोक दस्तावेज है, जिसका निरीक्षण करने का किसी व्यक्ति को अधिकार है, उस व्यक्ति को मांगे जाने पर उसकी एक प्रति उसके लिए विधिक फीस का भुगतान करके देगा, साथ ही ऐसी प्रति के नीचे एक प्रमाणपत्र भी लिखेगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेज या उसके किसी भाग की सत्य प्रतिलिपि है, और ऐसे प्रमाणपत्र पर ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांक अंकित किया जाएगा और उसके नाम तथा पद सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे, तथा जब कभी ऐसा अधिकारी विधि द्वारा मुहर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तो उसे मुहरबंद किया जाएगा; और इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।"

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **अप्पैया बनाम अंधिमुथु 6** के मामले में सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के अर्थ पर भी विचार किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :-----

"22. धारा 74 उन दस्तावेजों से संबंधित है जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं।इसकी उपधारा (2) [किसी भी राज्य में] रखे गए निजी दस्तावेजों के सार्वजनिक अभिलेखों को धारा 74 के तहत "सार्वजनिक दस्तावेज" के दायरे में लाती है।धारा 76 के अनुसार, सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, मांगे जाने पर, सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाले लोक अधिकारी द्वारा दी जाएंगी, साथ ही ऐसी प्रति के नीचे एक प्रमाण पत्र भी लिखा होगा कि यह ऐसे दस्तावेज या उसके किसी भाग की, जैसी भी स्थिति हो, सत्य प्रतिलिपि है, और ऐसे प्रमाण पत्र पर ऐसे अधिकारी द्वारा दिनांक अंकित किया जाएगा और उसके नाम तथा पदवी के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां धारा 76 के अनुसार प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **खादिम अली बनाम जगन्नाथ एवं अन्य** 7 के मामले में, अवध उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दस्तावेज़ एक सार्वजनिक दस्तावेज़ की अभिरक्षा रखने वाले एक लोक अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिलिपि होने का दावा करता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अनुसार, ऐसी प्रतिलिपि के नीचे एक प्रमाणपत्र लिखा होना चाहिए कि यह उस दस्तावेज़ की सत्य प्रतिलिपि है और इसके अभाव में, इसे प्रमाणित प्रतिलिपि/सत्य दस्तावेज़ नहीं माना जाएगा, विशेष रूप से तब, जब इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाता है।

18. इसी प्रकार, **किशोरी लाल रॉय बनाम कृष्णा किशोरी चौधरी एवं अन्य** 8 के मामले में, प्रिवी काउंसिल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि दस्तावेज़ की अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी से प्रमाण पत्र के अभाव में, इसकी प्रतिलिपि को "प्रमाणित प्रतिलिपि" के रूप में स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है।

19. साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में निहित परिभाषा के प्रकाश में और अप्पैया (सुप्रा), किशोरी लाल रॉय और खादिम अली (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा 31/10/2022 को कवरिंग लेटर के साथ उपलब्ध कराई गई प्रति दर्शाती है कि

यह शासकीय हाई स्कूल, जिला मुंगेली का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर है जहाँ अपीलकर्ता व्याख्याता के रूप में कार्यरत था।उक्त दस्तावेज़ में केवल लोक सूचना अधिकारी और उक्त विद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं, हालाँकि, ऐसी प्रति के नीचे कोई प्रमाण पत्र नहीं लिखा है कि यह ऐसे दस्तावेज़ या उसके किसी भाग की सत्य प्रति है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है और इस पर दिनांक भी नहीं अंकित है और यह इसे तैयार करने वाले व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा भी समर्थित नहीं है, इसलिए, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अर्थ में सार्वजनिक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति की श्रेणी में नहीं आएगा। यह जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली के नियंत्रण में विद्यालय द्वारा संधारित सार्वजनिक दस्तावेज की केवल सत्य/सत्यापित प्रति थी।इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

20. निष्कर्षतः, यह आरोप कि अपीलकर्ता ने 25/08/2022 को पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, पीड़िता (पीडब्लू-3) और उसकी मां (पीडब्लू-1) द्वारा साबित किया गया है और इस संबंध में उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और इसके अलावा, अपीलकर्ता का यह बचाव कि वह 25/08/2022 को आकस्मिक अवकाश पर था, अपीलकर्ता द्वारा उसके द्वारा दायर दस्तावेज प्रस्तुत करके विधि के अनुसार साबित नहीं किया जा सका है, ऐसे में, मुझे अपील में कोई बल नहीं लगता है।

21. यह दाण्डिक अपील, तदनुसार खारिज किए जाने योग्य है तथा खारिज की जाती है।

22. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजे जहां अपीलकर्ता अपनी कारावास का दंड भोग रहा है, तथा उसे सूचित करे कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील दायर करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

सही/

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur